मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्ष आदि को सम्बान्धित परिपत्र क्रमांक 28/–4जी0एस0 72/14558, दिनांक 10-5-72 की प्रति।

विषय :— स्थानांतरण सम्बन्धित पालिसी में तबदीली।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करूं और आपको यह सूचित करूं कि सरकारी खर्च में बचत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि अब कोई सामान्य स्थानांतरण ना किये जाएँ और यदि इस समय या बाद में लोक हित में किसी कर्मचारी/अधिकारी का स्थानांतरण किया जाना बिल्कुल अनिवार्य हो तो उस केस में स्थानांरण के आदेश जारी करने से पहले ही कार्य भारी मन्त्री महोदय की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

2. उपरोक्त आदेश स्थानांतरण के विषय पर सभी पिछली हिदायतों को Superceed करते हैं और अब किसी भी कर्मचारी/अधिकारी का स्थानांरण, चाहे वह सामान्य स्थानातंरण की अवधि में हो या मध्यवर्ती स्थानातंरण हो, करने से पहले कार्य भारी मन्त्री महोदय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। यह हिदायतें तब तक जारी रहेंगी जब तक कोई अन्य आदेश राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर जारी नहीं कर दिये जाते इन हिदायतों को ठीक अनुपालना के लिये नोट कर लिया जाये व अपने अधीन सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाये।